गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

Victim-centric Approach

Empowering Victims, Ensuring Justice

A Paradigm Shift towards Victim Empowerment

The new laws aim to enhance the efficiency, fairness, and accountability of the justice system. It recognises the victim as a stakeholder in the criminal proceedings, providing participatory rights and expanded right to information for the victim. The law has been reformed to place victims at the centre of the criminal justice system, offering unprecedented rights and opportunities.

Victim-centric Features: A Holistic Approach

Right to Participation

Victims now have the right to express their views, reinforcing their role as stakeholders in criminal cases. Section 360 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023 aims to fill the historical void in Section 321 of the CrPC by ensuring the inclusion of victims' voices before permitting case withdrawal.

Access to Justice

The institutionalisation of Zero-FIRs and the introduction of e-FIRs enhance accessibility, allowing victims to report crime anywhere irrespective of the crime location. For instance, Zero FIR is a provision under Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023 that allows a person to register a First Information Report in any police station where information about a cognisable offence is provided, irrespective of the area where the offence is committed. It allows people to file an FIR online, without having to visit a police station in person. The e-FIR system is designed to be efficient as it eliminates the need for people to travel to a police station and wait in long queues to file a complaint.

Right to Information

It grants victims the authority to obtain a free copy of the FIR. The law also provides obligatory measures to keep victims informed about the progress of investigations within 90 days.

Transparency

The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023 emphasises victim information rights by ensuring the supply of police reports, FIRs, and witness statements. It also incorporates provisions dedicated to providing victims with crucial information at various stages of investigation and trial.

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण

'पीड़ितों को सशक्त कर, न्याय सुनिश्चित करना!'

पीड़ित सशक्तिकरण की दिशा में एक आदर्श बदलाव

नए कानून का उद्देश्य न्याय प्रणाली की दक्षता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ाना है। यह पीड़ित को आपराधिक मुकदमे में एक हितधारक के रूप में मान्यता देता है, भागीदारी अधिकार प्रदान करता है और पीड़ित के लिए सूचना का विस्तारित अधिकार प्रदान करता है। पीड़ितों को अभूतपूर्व अधिकार और अवसर प्रदान करते हुए, पीड़ितों को आपराधिक न्याय प्रणाली के केंद्र में रखने के लिए कानून में सुधार किया गया है।

पीड़ित-केंद्रित की विशेषताएं : एक समग्र दृष्टिकोण

भागीदारी का अधिकार

पीड़ितों को अब अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, जिससे आपराधिक मामलों में हितधारकों के रूप में उनकी भूमिका मजबूत होती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 360 का उद्देश्य केस वापसी की अनुमति देने से पहले पीड़ितों की आवाज को शामिल करना सुनिश्चित करके सीआरपीसी की धारा 321 में ऐतिहासिक कमी को भरना है।

न्याय प्रक्रिया आसान

शून्य एफआईआर के संस्थागतकरण और ई-एफआईआर की शुरुआत से पहुंच में वृद्धि हुई है, जिससे पीड़ितों को अपराध स्थान की परवाह किए बिना कहीं भी रिपोर्ट दर्ज करने की अनुमति मिलती है। उदाहरण के लिए, जीरो एफआईआर भारतीय न्याय संहिता के तहत एक प्रावधान है जो किसी व्यक्ति को किसी भी पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने की अनुमति देता है, जहां संज्ञेय अपराध के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है, भले ही अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ हो। ई-एफआईआर लोगों को व्यक्तिगत रूप से पुलिस स्टेशन जाए बिना, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देती है। ई-एफआईआर प्रणाली को अधिक कुशल और सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि यह लोगों को शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने और लंबी कतारों में इंतजार करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।

सूचना का अधिकार

यह पीड़ितों को एफआईआर की मानार्थ प्रति प्राप्त करने का अधिकार देता है। कानून पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में सूचित रखने के लिए अनिवार्य उपाय भी प्रदान करता है।

पारदर्शिता

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर और गवाहों के बयानों की आपूर्ति सुनिश्चित करके पीड़ित के सूचना अधिकारों पर जोर देता है। यह पीड़ितों को जांच और परीक्षण के विभिन्न चरणों में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित प्रावधान भी देता है।